

**LIC**भारतीय जीवन बीमा निगम
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

चंडीगढ़ मण्डल

बीमा स्कूल



बीमा स्कूल योजना अपनायें

बच्चों का भविष्य सुरक्षित बनायें ।

(1) लेबोरेटरी इक्वीपमेंट



(2) लायब्रेरी हेतु किताबें



(3) क्लास रूम फर्निचर/ऑफिस



(4) कम्प्यूटर्स



(5) विद्यार्थी के लिए टायलेट निर्माण



(6) पीने के पानी व्यवस्था



(7) शिक्षा साफ्टवेयर इत्यादि ।



आवश्यक शर्तें

वित्तीय वर्ष में उस स्कूल के विद्यार्थियों का बीमा निम्नानुसार होना चाहिए।

पॉलिसी आधार पर	या	प्रथम प्रीमियम आधार	हितलाभ
पॉलिसियों की संख्या		प्रथम पॉलिसियों (सिंगल प्रीमियम छोड़कर) न्यूनतम 15 पालिसी के साथ	उपरोक्त उद्देश्य हेतु अधिकतम राशि रू.
25 पालिसी	या	1.5 लाख	7,500/-
50 पालिसी	या	3 लाख	15,000/-
75 पालिसी	या	5 लाख	25,000/-
100 पालिसी		6.50 लाख	35,000/-

इसके उपर 20 पालिसी या 1.5 लाख प्रीमियम के प्रत्येक ब्लाक पर रू **5,000/-** (अधिकतम रू **50,000/-**)

- यदि 50 से ज्यादा पालिसीयाँ गर्ल्स विद्यार्थी की है तो अवार्ड राशि 10% और बढ़ जाएगी ।
- विद्यार्थी हेतु कोई भी पालिसी लागू होगी एवं Parents हेतु- **Jeevan Lakshay (T-833)**

PRINTED AT: 8528422009
8699399699

10000 / 22.08.2018

बीमा ग्राम

बीमा ग्राम योजना अपनाएँ परिवार की सुरक्षा एवं गाँव का विकास पाएँ।

✓ क्या लाभ मिल सकते हैं ?

1. महिला और बच्चों के लिए टायलेट का निर्माण
2. सोलर लाईट
3. वॉटर टैंक/कुआँ निर्माण
4. स्कूल या ग्राम पंचायत के कमरे एवं टायलेट का निर्माण

✓ कौनसे गाँव में यह लाभ मिल सकते हैं ?

1. जिन गाँव की जनसंख्या 10,000 से कम है।
2. वित्तीय वर्ष में उस गाँव से न्यूनतम 100 पॉलिसीयाँ या 5 लाख की प्रथम वर्षीय प्रीमियम (सिंगल प्रीमियम को छोड़कर) के साथ न्यूनतम 50 पालिसी आवश्यक



वित्तीय वर्ष में पालिसीयाँ	अबुदान राशि*
100	25,000/-
150	37,500/-
200	50,000/-

← या →

प्रथम वर्षीय प्रीमियम (सिंगल प्रीमियम को छोड़कर)	अबुदान राशि*
50 पॉलिसी एवं 5 लाख	50,000/-
50 पॉलिसी एवं 7.50 लाख	75,000/-
50 पॉलिसी एवं 10 लाख	1,00,000/-

दोहरा लाभ

खुद भी हो सुरक्षित और गाँव के विकास में भी हो भागीदार

गाँव के जन जन को बतायें

जनता का धन, जनता के हितार्थ

*अबुदान राशि (या प्रथम वर्षीय प्रीमियम का 25% जो भी कम हो)
अधिक जानकारी के लिए नजदीकी शाखा से संपर्क करें।

सर्विष्य मण्डल प्रबंधक

*Other conditions apply as per CO circular

For Private Circulation